

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-611/2010

संस्थित दिनांक-28.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

### **विरुद्ध**

1. पारस सैन पुत्र आशाराम सैन उम्र 28 साल,  
निवासी गुमट मोहल्ला
2. मोहम्मद सगीर पुत्र कल्लू खां मुसलमान उम्र 29 साल,  
निवासी खटकयाना मोहल्ला
3. पूरन सिंह पुत्र कोमल सिंह यादव उम्र 41 साल  
ग्राम प्राणपुर,
4. अमोल सिंह पुत्र तोरन सिंह यादव उम्र 45 साल,  
निवासी ग्राम प्राणपुर  
सभी निवासीगण तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 414, 379 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.07.2010 को समय करीबन 04:00 बजे मेघाशान मंदिर के पास चंदेरी में तुम अभियुक्त अमोल सिंह एवं पूरण सिंह ने फरियादी राजकुमार सिंह के आधिपत्य की चार भैंसे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की एवं अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि उक्त भैंसे चोरी की है, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरण सिंह की स्वेच्छया सहायता की।

02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2010 को सुबह फरियादी ने अपनी चार भैंसे 6 बजे घर से चराने के लिये निकाल दी थी, फरियादी की चारों भैंसे मेघालय मंदिर के पास पठाए पर चर रही थी, करीबन 4 बजे शाम को फरियादी अपनी भैंसे लेने गया तो राजकुमार भैंसे वहा पर नहीं मिली, कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, राजकुमार भैंसों के हुलिया बताया है, 1 एक भैंसे काली उम्र करीबन 12 साल दोनों सींग टूटे, जो ग्यावन है जिसकी कीमत 7000 रुपये 2. एक भैंस जिसकी उम्र 10 साल माथे पर सफेद निशान, एक सींग पीछे की ओर जिसकी कीमत 3000 रुपये 3. एक भैंस काली उंची उम्र 5 साल दूध देती हैं जिसकी कीमत 10000 रुपये 4. एक भैंस काली कद छोटा उम्र 4 साल जिसकी कीमत 5000 रुपये है। फरियादी राजकुमार के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-270/10 अंतर्गत धारा-379 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त पूरन सिंह एवं अमोल सिंह ने दिनांक 04.07.2010 को समय 04 बजे मेघाशान मंदिर के पास चंदेरी से फरियादी राजकुमार के आधिपत्य की चार भैंसे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की ?
2.	क्या अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के चार भैंसे को यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये

	कि वह चुराये हुये हैं, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की ?
3.	दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियुक्त पारस के मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 एवं अभियुक्त सगीर के मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-7 की साक्षी जैन सिंह (अ0सा0-5) सहित जप्ती व गिरफ्तारी के के साक्षी के रूप में ईदमोहम्मद (अ0सा0-1) व मुज्जफर खां (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये। वही प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रधान नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) व प्रधान आरक्षक जंगबहादुर (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी राजकुमार सिंह व मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 के अन्य साक्षी देवीलाल के फौत हो जाने के कारण उनकी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
- 06— फरियादी राजकुमार सिंह के अलावा घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा राजकुमार के प्रकरण में कथन न होने से घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। घटना में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक प्रधान आरक्षक रामदास को प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी नहीं बनाया गया तथा फरियादी के फौत हो जाने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिये प्रधान आरक्षक रामदास की साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है। अतः दिनांक 04.07.10 करे शाम 04:00 बजे मेघाशान माता के मंदिर के पास फरियादी की चार भैंसों की चोरी हुई थी इस तथ्य को साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 07— फरियादी राजकुमार सिंह की चार भैंसे चोरी हो जाने की घटना साबित न होने से वैसे ही अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं,

परन्तु तर्क के लिये अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का विवेचन भी किया जाना आवश्यक है। अतः तर्क के लिये कि मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि यदि फरियादी की भैंसों की चोरी हुई भी थी, तो उसने में अभियुक्तगण की क्या भूमिका थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध की गई हैं

08— यह उल्लेखनीय है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कारित की गई चोरी की घटनाओं में मुख्यतः कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि आम तौर पर चोरी की घटना की जानकारी चोरी होने के बाद ही पीडित पक्ष को होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में चोरी की गये माल की बरामदगी किससे हुई एवं उक्त माल किसकी निशानदेही पर बरामद हुआ, यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है और अभियुक्तगण के विरुद्ध चोरी का अपराध साबित करने के लिये उक्त बिंदू अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में भैंसों की बरामदगी अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा की ही नहीं गई। प्रधान आरक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा भी न्यायालय में पुलिस थाना चंदेरी के अन्य अपराध क्रमांक 291/10 में अभियुक्त पारस से चोरी की घटना प्रयुक्त महेंद्रा जीप एम0पी0 08 जी0 0549 एवं अभियुक्त सगीर से महेंद्रा जीप यू0पी0 93 टी0 3391 में कागजात के जप्त किया जाना बताया है तथा उक्त प्रकरण के जप्त पंचनामों की छायाप्रति प्रदर्श-पी-3 सी व 4 सी इस प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराई गई है।

09— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अभियुक्त पारस व सगीर से कोई वाहन जप्त ही नहीं किया गया, बल्कि अन्य प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के जप्ती पत्रक की छायाप्रति इस प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। जो कि प्रकरण की जप्ती के रूप में सर्वप्रथम तो इस अपराध क्रमांक जप्ती के तौर पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है वही प्रदर्श-पी-3 सी व 4 सी को द्वितीय साक्ष्य के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने की न तो कार्यवाही की गई और न ही प्रदर्श-पी-3 सी व 4 सी स्वयं में ही द्वितीय साक्ष्य है क्योंकि उसका मिलान मूल जप्तीपत्रकों से करके प्रकरण में प्रदर्शित नहीं हुआ है। अतः इस प्रकरण में अभियुक्त पारस व सगीर से कोई वाहन की जप्ती नहीं हुई है।

10— अभियुक्तगण सगीर व पारस सैन को प्रकरण में अभियोजित करने का अभियोजन के पास मुख्य आधार प्रकरण अभियुक्त पारस का दिया गया मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 है अभियुक्त सगीर का लिया गया मैमोरेण्डम

प्रदर्श-पी-7 है, जिसमें अभियुक्त सगीर के द्वारा अपनी पिकअप गाडी यू0पी0 93-3391 एवं अभियुक्त पारस के द्वारा एम0पी0 08-0549 से फरियादी की भैंसे अन्य अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह के कहने पर धौलपुर लेकर जाकर छोड़कर आना बताया गया है।

- 11- अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसके द्वारा अभियुक्त पारस सैन व मोहम्मद सगीर को गिरफ्तार कर उपरोक्त अभियुक्तगण से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 बनाया था। अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) ने अपने कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह को प्रकरण में अभियुक्त किस आधार पर बनाया गया। यह उल्लेखनीय है कि नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के किसी भी अभियुक्त से इस प्रकरण में भैंसों की नही की गई, वहीं मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 में उल्लेखित वाहन भी इस प्रकरण में अभियुक्त पारस व सगीर से जप्त नहीं किये गये। अतः प्रकरण में प्रदर्श-पी-6 व 7 के मैमोरेण्डम के आधार पर प्रकरण में कोई जप्ती नहीं की गई है।
- 12- प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह कथन दिये है कि अभियुक्त पारस सैन ने प्रदर्श-पी-6 के मैमोरेण्डम में एवं अभियुक्त सगीर ने प्रदर्श-पी-7 के मैमोरेण्डम में यह बताया था कि अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह उन्हें दुगना भाडा देकर उनकी पिकअप वाहन किराये पर ली थीं, जिसमें दोनों आरोपीगण ने भैंसे भरकर मुरैना रोड पर उतारी थीं, जिनके बारे में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह ही बता सकते हैं।
- 13- सर्वप्रथम तो मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 के एक मात्र साक्षी जैन सिंह (अ0सा0-5) ने स्वयं ही मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता हैं, परन्तु पुलिस के द्वारा उसके सामने अभियुक्तगण से पूछताछ कर धारा 27 का मैमोरेण्डम लिया गया, इस बात पर अभियोजन का समर्थन नहीं करता है। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी के पत्रक मात्र प्रदर्श हो जाने से स्वतः साबित नहीं होते है और न ही वह उसमें उल्लेखित कार्यवाही का निश्चायक प्रमाण होते है। उसमें उल्लेखित कार्यवाही को मौखिक साक्ष्य से साबित करना होता है।

- 14— ईदमोहम्मद (अ0सा0—1) प्रदर्श—पी—1 व 2 के गिरफ्तारी पत्रक एवं प्रदर्श—पी—3 सी व 4 सी के जप्ती पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है, परन्तु इस साक्षी ने इस बात पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त पारस सैन से महेंद्रा पिकअप वाहन एम0पी0 08 जी0ए0 0549 एवं अभियुक्त सगीर से महेंद्रा बुलेरो पिकअप यू0पी0 93 टी0 3391 जप्त किया था। मुज्जफर खानं (अ0सा0—2) अपने कथनों में यह तो स्वीकार करता है कि उसका महेंद्र पिकअप वाहन एम0पी0 08—0549 को चलाता था तथा बुलेरो पिकअप वाहन यू0पी0 93 टी0 3391 साक्षी ईदमोहम्मद के नाम पर हैं, परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया कि उक्त वाहन की जप्ती अभियुक्त पारस सैन से एवं बुलेरो वाहन क्रमांक यू0पी0 93 टी0 3391 की जप्ती पुलिस ने अभियुक्त सगीर की थी।
- 15— अतः अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहित जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त पारस सैन से नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) ने महेंद्रा पिकअप वाहन एमपी 08—0549 एवं अभियुक्त सगीर से बुलेरो वाहन क्रमांक यू0पी0 93 टी 3391 इस प्रकरण में जप्त किया गया। अभियुक्तगण सगीर व पारस सैन को उक्त पिकअप वाहनों फरियादी के भैंसों चोरी कर ले जाते हुये किसी देखा इस संबंध में अभिलेख पर न तो साक्ष्य उपलब्ध हैं और न ही अभियोजन के पास इस तथ्य को साबित करने के लिये की फरियादी की भैंसों पारस सैन ने महेंद्रा पिकअप वाहन एम0पी0 08—0549 एवं अभियुक्त सगीर से बुलेरो वाहन क्रमांक यू0पी0 93 टी0 3391 से ले जाकर चोरी करने में अन्य अभियुक्तगण की मदद की, उसको साबित करने के लिये कोई युक्तियुक्त आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 16— अभियुक्तगण को इस प्रकरण में अभियोजित करने के लिये अभियोजन के पास एक मात्र पारस सैन का मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—6 व अभियुक्त सगीर का मैमोरेण्डम प्रदर्श—पी—7 है, जो कि सर्वप्रथम तो साक्षियों के कथनों से ही साबित नहीं होता हैं ओर तर्क के लिये उक्त मैमोरेण्डम का लिया जाना एवं अभियुक्त के द्वारा मैमोरेण्डम में दी गई जानकारी पुलिस को दी गई यह मान भी लिया जावे तब भी चूंकि उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर चोरी गये माल की कोई बरामदगी अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा किसी अभियुक्त से नहीं की गई है, इसलिए उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर किसी अभियुक्तगण के विरुद्ध फरियादी को भैंसों को चोरी करने व चोरी करने में मदद करने के आरोप साबित नहीं होते हैं।

- 17— यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 में यह उल्लेख है कि अभियुक्त पारस सैन व सगीर ने अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह के कहने पर फरियादी के भैंसे चोरी करके उन्हें बेचने के लिये अपने अपने पिकअप वाहन से धौलपुर ले गये थे और यदि उक्त संस्वीकृति को अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस को दिया जाना मान भी लिया जावे तब भी उपरोक्त कथन अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत साबित नहीं किया जा सकते हैं।
- 18— अतः सर्व प्रथम तो अभियुक्त पारस सैन व अभियुक्त सगीर को किसी भी व्यक्ति ने चोरी करते हुये नहीं देखा। प्रकरण में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह से पुलिस के द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई न ही उनका मैमोरेण्डम लेकर भैंसों की कोई बरामदगी ही प्रकरण में की गई है। मैमोरेण्डम प्रदर्श-पी-6 व 7 में अभियुक्त पारस सैन व अभियुक्त सगीर के द्वारा स्वयं व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।
- 19— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि दिनांक 04.07.2010 को समय करीबन 04:00 बजे मेघाशान मंदिर के पास चंदेरी में तुम अभियुक्त अमोल सिंह एवं पूरण सिंह ने फरियादी राजकुमार सिंह के आधिपत्य की चार भैंसे उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाने का आशय रखते हुये उन्हें हटा कर चोरी कारित की एवं अभियुक्त पारस सैन एवं अभियुक्त मोहम्मद सगीर ने यह जानते हुये अथवा यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि उक्त भैंसे चोरी की है, उन्हें छुपाने में या व्ययनीत करने या इधर उधर करने में अभियुक्त अमोल सिंह व पूरन सिंह की स्वेच्छया सहायता की।
- 20— फलतः अभियुक्त पूरन सिंह पुत्र कोमल सिंह एवं अमोल सिंह पुत्र तोरन सिंह यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 379 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त पारस पुत्र आशाराम सैन एवं मोहम्मद सगीर पुत्र कल्लू खां के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 414 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 414 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

21- अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)